

निर्णय नम्बर राजेश लोके कडाला - मात आपके कर केसु राई
 चारा श्री हीरालाल कारा काट ए एत उन जेव करि करी हीमाकरी
 प्रकरण सं. 84/15 दाका
 दाखल दिनांक :- 21-7-15
 निर्णय दिनांक :- 13-6-2017

उपनाम


काना पुत्र कारा जाई मीना विवासी राका लक्ष्मी हीमाकरी
वनाम

- 1- रामकरण पुत्र रामचन्द्र जाई मेहर विवासी राका
- 2- हीराल पुत्र कस्तुरा जाई मीना विवासी राका
- 3- हीरालाल पुत्र कडेमालाल जाई मीना विवासी राका
- 4- काकुमाल पुत्र कडेमालाल जाई मीना विवासी राका
- 5- ब्रूदाबाई पत्नी कडेमालाल जाई मीना विवासी राका व. हीमाकरी

काड अर्जन धारा 188 RTA

निर्णय दिनांक :-

अभिभाषक कारी चारा काड प्र अर्जन धारा 188
 RTA विरुद्ध जाई कारी जय के - माता - के उत आशय का प्र
 किया गया कि काके जय राका लक्ष्मी हीमाकरी के अर्जन कारा
 एके 29 अक्टूबर 6 वीं धारा कारी के खोलेसारी एवं कके कारा के
 चली का रही है कारी के उक्त कारा के फलत सोदावीन का
 रही है फलत कच्ची उजाऊ है जाई कारी जय की विपरीत में
 कदमाई का गरी है और वह कारी की उक्त कारा के फलत
 फलत करत करत करत कहे का जाई है अतिका जाई का
 गण करे कके कारा अधिकार नहीं है दिनांक 6-7-2015 के
 जाई कारी जय एक रात अकेल कारी की उक्त कारा के फलत
 सोदावीन फलत करत करत कहे कहे की विपरीत में
 कारी कारी के कहे कहे कि मना किया है जाई कारी के
 जाई फलत आता उके गदावन के बीच कला करी का उचित
 मने जाई कारी जय के उक्त कारा के अर्जन फलत करत करत
 कहे कहे की धरती की। जाई कारी के अर्जन इरादे के पुनर्नि
 उक्त कारा के अर्जन फलत करत करत कहे कहे किया



 प्रमुख अधिकारी
 जीपाबडी जिला बास

मजारा -

वारी को कपरेचिन द्वारा बेगी बिक्री कार्रवाई न हो सके
है आंकी जा सकरी है और न ही की जा सकरी है। बाद काल
डिसेंबर 67-2015 को जरी वारी गण अरा उक्त वारी अरा
दर जवरन बलपूर्वक कब्जा काल की कोशिश काल पर
वारी अरा गण काल पर आपदा जवरन बलपूर्वक कब्जा काल
की धमकी देते पर उत्पन्न हुआ। वारी अरा बाद स्वीकार काल
का विवेक किया है

वारी का बाद दर्ज रखे काल जरी वारी गण
को गण लालन बलक किया गया। जरी वारी गण कालकड 6 म
के न्याय के उपाय नहीं होते के कारण उनके विरुद्ध एक र (म)
कापनाही की गयी वारी के काल पर के कारण के काल गण
गण रावें लालन 2071-74 काल सं 2) के काल गण प्रकरण रख
लोक अडालत - माप कालके अर के म रां पर पर रख गया।
वारी जरी वारी गण को राजल लोक अडालत - माप कालके अर
के म पर उपाखिन होते के लिए गोठि जारी किये गये वारी
लालन राजल लोक अडालत - माप कालके अर के म उपाखिन पर
जरी वारी गण उक्त वारी है वारी के बाद पर स्वीकार काल का विवेक
किया है

वारी को पुनः गण। पगावही एवं दिकार का अलोक
किया गया। वारी अरा जलुन काल गण वारी गण रावें लालन
खोपाकरी लालन 2071-74 काल सं 2) के अडालत के 29 दवाक
6-10 वीधा काग पुन अलरा जरी वारी के खोपारी के दर्ज है
विकारिने कारणी वारी के खोपारी एवं काल का म की वारी है
जरी वारी गण का उक्त कारणी पर जल कब्जा काल का के
अधिकार वारी है जरी वारी गण अरा राजल लोक अडालत - माप
कालके अर के म के उपाखिन के काल एका के व लालन व इति
मशन प्रक वारी किया कालके विकारिने अर जरी वारी गण के
खोपारी एवं काल का म के अल लालन है वारी जरी वारी
गण पर लालन काल के विवेक है वारी जरी वारी
की स्थायी विवेधारा है पावड करीत का अधिकारी है व
का बाद एवं पुर्विका का ललुन वारी के पर है व मर
वारी गण अरा वारी के खोपारी एवं काल का म के उक्त का
दर जल कब्जा काल किया गया है वारी को कपरेचिन
होजी। वारी का बाद स्वीकार किया काल जरी वारी गण
का स्थायी विवेधारा है पावड किया जाय - माप लालन


उपखण्ड अधिकारी
छीपावडी जिला बाय

लगाता

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबडौद जिला बारा

डिक्री

वाद संख्या 84/15	धारा अंतर्गत 188 RTA	निर्णय दिनांक 13-6-17
समक्ष - श्री श्रीरामलाल वर्मा को. ए एफ उपखण्ड अधिकारी छीपा-		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी Sh. B. M. M.	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीपक

काका पुत्र कानर काठे मीन कि रावा नए छीपाकछे
बगम

- 1- शापकरण पुत्र रामचन्द्र शाह के हट्ट विवासी रावा
- 2- धीप पुत्र कलूरु काठे मीन कि रावा
- 3- श्रीरामलाल पुत्र कलूरु काठे मीन कि रावा
- 4- बाइलाल पुत्र कलूरु काठे मीन कि रावा
- 5- इन्द्रकांत पुत्र कलूरु काठे मीन कि रावा नए छीपाकछे

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राकड लक कडापुर - पाप कोपड
शुद्ध केम रोड पर स्वीकार किया जाए और विवाह के कारण
वादी का रावा के अर्द्ध-शप रणव हुवाया पर राकड लक
पुत्र क कलूरु काठे मीन कि रावा के शाह के पुत्र क कलूरु काठे
के विवाह के कारण उक्त रावा के अर्द्ध-शप रणव हुवाया
गए के उक्त स्थान को धारा 6 पावड किया जाए और

साथ ही नियमानुसार.....रु० का व्यायानुतोष.....द्वारा.....को प्रदान किया जाए
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 13-6-17 को निर्गत किया गया।

उपजिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी (स.ज.)
छीपाबडौद जिला बारा

व्यायानुतोष			
क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिशनर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

नम्बर-1 म वाणत आराजी पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी दी।